न्यायालयः– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–CIS No. 518/2021

CNR. N.– RJSK 1000077622021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 42/2021 पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल फतेहपुर शेखावाटी

राजस्थान राज्य

बनाम

विद्याधर सिंह पुत्र हरलाल सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी दोलताबाद पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर (राज०)

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राज० आब० अधि०

उपस्थिति:–

1. विद्वान अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रजनेश महला विद्वान अधिवक्ता–वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक– 02.04.2026**

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	09.09.2021
आरोप सुनाये जाने की तिथि	28.10.2021
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	28.01.2022
बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	17.02.2026
बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	02.04.2026
निर्णय की तिथि	02.04.2026

2– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूचि–

(क) अभियोजन–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
पी.डब्ल्यू 01	श्री सांवरमल	सैम्पल जमाकर्ता
पी.डब्ल्यू 02	श्री सुगन सिंह	फर्द जब्ती व नक्शा मौका

पी.डब्ल्यू 03	श्री अर्जुन सिंह	फर्द जब्ती, नक्शा मौका व मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू 04	श्री गोविन्द सिंह	फर्द जब्ती, नक्शा मौकाअनुसंधानकर्ता
पी.डब्ल्यू 05	श्री रमेश चन्द्र माचरा	अनुसंधानकर्ता

3– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची (मुताबिक बयान गवाह)–

(ख) अभियोजन–

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	सैम्पल प्रयोगशाला में जमा की रसीद	पी 01
2	फर्द जब्ती शराब	पी 02
3	नक्शा मौका घटनास्थल	पी 03
4	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम विद्याधर सिंह	पी 04
5	मालखाना की मूल व प्रमाणित प्रति	पी 05, पी 05 ए
6	रसीद	पी 06
7	जाब्ते की रवानगी रपट की नकल	पी 07
8	एफआईआर	पी 08
9	एफएसएल नतीजा	पी 09
10	वजह सबूत की चिट	पी 10 लगायत पी 13

4– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 12.01.2021 को मन रमेश चन्द्र माचरा पु.नि., प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल फतेहपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 12.01.2021 को वह मय जाप्ता के दौराने आबकारी रैड गस्त करते हुए मिली मुखबीर की सूचना के आधार पर गांव दोलताबाद से गोड़िया छोटा जाने वाले आम रास्ते पर विद्याधर सिंह के खेत में पहुंचे तो एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जो सरकारी गाड़ी व बावर्दी जाप्ता देखकर रूहपोष हो गया। जिसको जाप्ते में से श्री गोविन्द्र सिंह ने पहचान कर बताया यह खेत विद्याधर

सिंह का है। पास में खेत में काम कर रहे व्यक्ति जो यह वाक्यात देख रहे थे। उनको तलब कर बुलाने का आशय बताकर उनके सामने खेत की तलाशी लेने पर खेत में रखी तुड़ी में दो प्लास्टिक कट्टे भरे बरामद हुये जिनमें शराब के पव्वे भरे हुए थे। तलब किये गये व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह बनाना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस पर जाप्ते के अर्जुन सिंह जमादार व सुगन सिंह सिपाही को मौतबीर बनाकर विद्याधर सिंह के कब्जेशुदा खेत में मिले कट्टों को खोलकर कर चैक करने पर एक कट्टे में 70 पव्वे सादा मदिरा जीएसएम व 48 पव्वे देशी सादा मदिरा, दुसरे कट्टे में 22 पव्वे काँच के व्हाईट ऑरेंज फलेवर के कुल 140 पव्वे भरे हुये मिले। मौके पर जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जाकर रिपोर्ट थाने पर पेश की जिस पर मुकदमा नम्बर 42/2020–21 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध को आरोप प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6– अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिए गए तो उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इनकार किया ओर कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फसाया गया है।

<u>न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सूनी गई।</u>

7– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिये गये कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य ठोस प्रकृति की

है, जिससे अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

8– उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। मौके पर बरामदगी की कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। बरामदगी स्थल अभियुक्त के कब्जे का स्थान हो यह अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) आया दिनांक 12.01.2021 को समय करीब 03 पीएम पर मौजा दौलताबाद से गोड़िया छोटा जाने वाले आम रास्ते पर अभियुक्त के आधिपत्य एवं चेतन्य कब्जे से दो प्लास्टिक कट्टों में कुल 140 पव्वे देशी सादा मदिरा के बरामद किये गये तथा उक्त शराब को रखने एवं परिवहन करने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था?

(2) यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो?

11– इस प्रकरण का उद्भव फर्द जब्ती 140 पव्वे देशी शराब प्रदर्श पी 2 से हुआ है। न्यायालय में लेखबद्ध बयानों में जब्तीकर्ता व अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 5 रमेश माचरा ने उक्त जब्ती के तथ्यों को दोहराते हुये साररूप से यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 12.01.2021 को समय करीब 3.00 पी.एम. पर गाँव दौलताबाद से गोड़िया छोटा जाने वाले आम रास्ते पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 में ''एक्स'' मार्क से दर्शित स्थान/अभियुक्त विद्याधर सिंह के खेत से 140 पव्वे प्लास्टिक कट्टों में बरामद किये गये हैं। जब्ती के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 2 सुगन सिंह, पी.डब्ल्यू 3 अर्जुन सिंह व पी.डब्ल्यू 4 गोविन्द सिंह की भी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य इसी अनुसार रही है।

12– जब्तीकर्ता व जाब्ते के इन उक्त गवाहों की साक्ष्य के अनुसार अभियोजन का प्रकरण अभियुक्त के व्यैक्तिक कब्जे से शराब बरामदगी का नहीं होकर बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 3 में दर्शित ''एक्स'' मार्क स्थान अभियुक्त का कब्जेशुदा खेत होने पर अवलंबित रहा है। इस कारण अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने के लिये अभियोजन को यह बरामदगी स्थल का खेत बरामदगी के समय अभियुक्त के चैतन्य कब्जे का स्थान रहा है, यह साबित करना है।

13– जब्तीकर्ता पी.डब्ल्यू 5 रमेश माचरा ने अपनी जिरह में इस तथ्य को सही होना स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त विद्याधर व उसके खेत को पहले से नहीं जानता था। गवाह पी.डब्ल्यू 2 सुगन सिंह व पी.डब्ल्यू 3 अर्जुन सिंह की भी जिरह में इन्हीं तथ्यों बाबत स्वीकारोक्ति रही है। उक्त अनुसंधान अधिकारी के अनुसार जब्ती स्थल अभियुक्त विद्याधर का खेत होने बाबत वार्ड पार्षद से तस्दीक प्रदर्श पी 6 करवाई कई थी। विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने इसी आधार पर बरामदगी स्थल अभियुक्त के कब्जे का खेत होना प्रमाणित माने जाने का तर्क दिया है। यह न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि अभियोजन के द्वारा स्वीकृत रूप से प्रदर्श पी 6 तस्दीक के बाबत तस्दीककर्ता वार्ड पार्षद रामकरण को प्रकरण में गवाह ही नहीं रखा गया है और अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में इस तथ्य को सही होना भी स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल के कब्जे के सम्बन्ध में सरपंच या पटवारी से कोई तस्दीक उसने नहीं करवाई।

14– पत्रावली पर निर्विवादित रूप से ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जो बरामदगी स्थल को अभियुक्त का खेत होना दर्शित करता हो। यद्यपि गवाह गोविन्द्र सिंह अभियुक्त को जानने व उसका खेत जानने के कथन न्यायालय में करता है, परन्तु इन कथनों के आधार यह गवाह प्रकट नहीं करता है और सामान्य अनुक्रम में यह तथ्य विश्वास आकृष्ट नहीं करता है कि एक पुलिसकर्मी साधारण व्यक्ति के खेत के सम्बन्ध में निजी जानकारी रखे।

15– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि शराब बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 3 में ''एक्स'' मार्क से दर्शित स्थान शराब बरामदगी के समय अभियुक्त विद्याधर सिंह के चैतन्य कब्जे का खेत व स्थान रहा हो।

16– ऐसी दशा में अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार अभियुक्त धारा 19/54 राज० आब० अधि० में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

17– परिणामतः अभियुक्त विद्याधर सिंह पुत्र हरलाल सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी दोलताबाद पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर (राज०) को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18– अभियुक्त को धारा 437क द.प्र.सं. की पालनार्थ छः माह के लिए 10,000 रूपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते है।

19– प्रकरण में जब्त शुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किए जाने बाबत सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

(अजय कुमार पूनिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर जिला सीकर।

20– निर्णय व आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर जिला सीकर।